अध्याय 17-मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव और पद त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य.

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव.

143. (1) मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) प्रस्ताव करने की अनुमति सदस्य को अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मांगनी होगी;

(ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को प्रातः 10.00 बजे के पूर्व सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी.

परन्तु यह और भी कि किसी दिन 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव की सूचना आगामी बैठक की तिथि पर 10.00 बजे प्राप्त होना मानी जाऐगी.

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सभा में प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा और उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा और यदि तद्नुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से कम से कम दशांश सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति मांगने की तिथि से दस दिन से अधिक बाद का न हो यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा.

(3-क) प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य या सदस्यों द्वारा यथास्थिति चर्चा के दौरान, लगाये जाने वाले आरोपों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा नियत अवधि के पूर्व सचिव को दी जावेगी.

(4) अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या दिनों में से अंतिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(5) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगा.

मंत्री का वक्तव्य जिसने पद त्याग किया हो.

144. (1) जो सदस्य मंत्री पद का त्याग कर दे वह, अध्यक्ष की सम्मति से अपने पद त्याग के स्पष्टीकरण के लिये व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा.

(2) जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सभा के नेता को भेजी जायेगी :

परन्तु लिखित वक्तव्य के अभाव में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बात या उसका सार अध्यक्ष और सभा नेता को जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले भेजा जायेगा :

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु उसके दिये जाने के बाद कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा.